

## **The Telecommunications Bill, 2023**

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 32 - दूर संचार विधेयक, 2023

रेल मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

?कि दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और प्रचालन; स्पेक्ट्रम के समनुदेशन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए !?

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप इस बिल पर हल्का सा ब्रीफ कर दें ।

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, आज इस ऐतिहासिक दिन में, जहां कलोनियल माइंडसेट के तीन बहुत बड़े बिलों को निरस्त करके भारत की संस्कृति और संविधान के अनुसार नए बिल्स लाए गए । आज उसी कड़ी में एक और कलोनियल बिल वर्ष 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिपील करके, आज की जरूरतों के हिसाब से, आज की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आज के भारत के नागरिकों की आकांक्षाओं के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और उनके मार्गदर्शन में एक नया बिल लाया गया है, जो इस डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा प्रवर्तक है ।

अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में भारत में डिजिटल इंडिया की एक ऐसी क्रांति आई है, जिस क्रांति से देश के जन-जन के मन में, जन-जन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ।

**16.58 hrs** (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

सभापति जी, इन साढ़े नौ वर्षों में टेलीकॉम का इतना व्यापक प्रसार हुआ है, जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली थी, तब देश में मात्र छह-सवा छह लाख बीटीएस यानी टेलीकॉम के टॉवर्स होते थे । आज 25 लाख से अधिक टेलीकॉम के टॉवर्स हैं । ब्रॉडबैंड की सर्विसेज लेने वाले जो यूजर्स होते थे, वर्ष 2014 में मात्र डेढ़ करोड़ होते थे । आज 85 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर्स हैं । दुनिया में सबसे तेज गति से फाइव-जी का फास्टेस्ट रोल आउट हिन्दुस्तान में हुआ है । देश में सिर्फ 14 महीने में 4 लाख से अधिक फाइव-जी के टॉवर्स इंस्टॉल हुए हैं ।

सभापति जी, आज रिफॉर्म के कारण, मोदी जी के सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस के कारण 85 प्रतिशत टॉवर्स की जो क्लीयरेंसेज होती है, जो परमिशन है, वह एंटर का बटन दबाते ही और जीरो टाइम में एक सेकेंड के अंदर परमिशन आपके सामने मिल जाती है ।

सभापति जी, जो टॉवर्स और दूसरे राइट ऑफ वे के एप्रूवल्स हैं, जहां आज से साढ़े नौ वर्ष पहले एवरेज 230 दिन लगते थे, आज एवरेज 10 दिन के अंदर राइट ऑफ वे मिल जाता है ।

### **17.00 hrs**

सभापति जी, टेलीकॉम सैक्टर आज एक बहुत ही अच्छा सनराइज सैक्टर बनकर उभरा है, जिस सैक्टर से देश की अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त मोमेंटम आता है । आज उस सैक्टर को एक नई गति देने के लिए, बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वाला यह बिल इस महान सदन में प्रस्तुत है । इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट भी रखा जाएगा । इसमें तीन बिलों को रिपील करने का प्रस्ताव था, उनमें से एक बिल हाल ही में रिपीलिंग एक्ट के जरिए से ऑलरेडी रिपील हो चुका है । उस छोटे से संशोधन के अलावा इस बिल में जो बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वे प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।

मेरा इस महान सदन से निवेदन रहेगा कि इसको यूनैनिमस्ली पास करें । इस चर्चा में अगर विपक्ष प्रस्तुत होता तो हो सकता है कि उनकी चर्चा से कुछ लाभ होता । लेकिन, वे तो डर के भागने वाले लोग हैं, पीठ दिखाने वाले लोग हैं । इस तरह के लोगों से देश कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकता । मेरा इस महान सदन से निवेदन रहेगा कि एक सुदृढ़ चर्चा के बाद में इस बिल को यूनैनिमस्ली पास किया जाए ।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और प्रचालन; स्पेक्ट्रम के समनुदेशन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।?

**DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL):** Thank you, hon. Chairperson, Sir for allowing me to speak on the Telecommunications Bill, 2023.

The Bill proposes to repeal outdated Acts like Indian Telegraph Act, 1885; Indian Wireless Telegraphy Act, 1933; the Telegraph Wires Unlawful Possession Act, 1950.

Sir, this is like cleansing of British residue which is essential for modern India. The Bill addresses long standing issues like capping of charges, deemed approval clause and deployment of telecommunication infrastructure and private property. A significant regulatory shift in the Bill is replacement of license with authorisation. In toto, the Bill aims to consolidate existing laws and adopt the evolving telecommunication sector with emphasis on national security and inclusive digital growth.

Sir, there are 11 positives in the Bill of which I would like to make a brief mention. One is interception of communication in the interest of national security. It is very much essential. At the same time, privacy of citizens should also be taken care of. The Bill says that the Government can notify standards for encryption. Incitement of offences has been the latest *modus operandi* of the so-called leaders who

celebrate tyranny. So, interception should be more effective. Misguided youth are going to the roots of crime in which social media is playing a big role. This should be tackled in order to maintain public order. Press messages of accredited Indian correspondents shall not be intercepted or detained unless the transmission has been detained by the Government.

Sir, the second positive of the Bill is national security against cyber- attacks and other criminal activities which is a major concern. Those who cannot fight a war with us directly are using the telecommunication route to mislead our youth. So-called leaders with a British residue mindset are also using social media to destabilise elected Governments. Strict laws are essential for national security.

Citizen safety is also taken care of by this Bill. Prior consent for marketing messages, do not disturb registers and grievance redressal mechanism should be enforced with robust mechanism. Through dubious phone calls and SMSs, thousands of crores of rupees are being robbed from the innocent citizens. This problem should be tackled with a quick response mechanism. We should note that people are vexed with delayed judicial system of India. Spectrum allocation on administrative basis like for national security, defence, disaster management, weather forecasting, transport, satellite services such as DTH and satellite telephony and BSNL, MTNL and public broadcasting services ? these are welcome features of the Bill.

Sir, the fifth positive feature of the Bill is the revamped Universal Service Obligation Fund named as Digital Bharat Nidhi which is proposed to take care of research, development, pilot projects and new infrastructure for unserved areas.

Sir, online services would also be required to contribute to the Digital Bharat Nidhi. With the mention of data-stream in the definition of messaging, one can suppose that messaging apps like Whatsapp and Telegram, email services like Gmail, Zoom and cloud services could come under the scope of telecom regulation.

If these services are included under this Bill, same rules can be implemented. This needs clarification from the hon. Minister.

Satellite-based services like Global Mobile Personal Communications by Satellites, National Long Distance and International Long Distance Services, Mobile Satellite Service in L and S bands would be provided by spectrum via administrative allocation. This falls in line with the requests made by satellite communication projects like Amazon's Project Kuiper, Space X and Bharti Airtel-backed OneWeb

which have been urging for administrative allocation for a long time. This will spur growth in the nascent space sector of India.

Sir, the next positive feature of this Bill is that the trusted sources regime, which came into being after the 2020 Indo-Chinese border skirmishes to stop imports of telecom equipment from hostile nations will now be part of the Bill. Right of way law gives local authorities like District Magistrates more power to adjudicate disputes. Such positive measures will accelerate digital connectivity. But it must be provided on a non-discriminatory and non-exclusive basis.

Another significant proposal in the Bill is to empower the Government to waive entry fees, license fees, penalties, etc., in the interest of consumers and ensure fair competition in the market. This provision of the Bill will also help in promoting affordability and accessibility of telecom services.

The Bill safeguards digital infrastructure, stating that no public entity can take coercive actions against the telecommunication network without prior approval from a Central Government officer, except in cases of natural disasters or public emergencies. By this, irresponsible behaviour of officers or citizens can be curbed.

Sir, we have some suggestions with regard to this Telecommunications Bill. Rural digital divide should be taken care of on priority basis. Most of the Government schemes are reaching the doorsteps of rural areas. Since 70 per cent of Indians live in rural areas, digital connectivity is undeniably the need of the hour. Pilferage in Government schemes can be prevented and services can be delivered promptly. Door delivery of Government services is being done in Andhra Pradesh through Grama Sachivalayams. Digital connectivity is an issue in some villages. So, we request the Government of India to take care of establishing digital connectivity in all rural areas of AP on priority basis. This Gram Sachivalayam system and volunteers service system are very exemplary. It is a trend-setting system for our country. I must thank our hon. Chief Minister, Shri YS Jagan Mohan Reddy for this.

Our Second suggestion for this Bill is that a credit system through UPI should be implemented which can boost our economy. It is a noteworthy point that UPI system has created a history in India. India's real-time payment system, UPI, is a trend setter in the global digital payments arena. Nearly 1.4 crore Indians have a digital identity. Crores of transactions worth trillions of rupees are happening every day. Indians are saving billions of rupees because most of the UPI transactions are

free. I must thank our visionary leader, Prime Minister Shri Narendra Modi ji for this.

Sir, the State governments may be allotted the spectrum on administrative basis, which can be useful in promotion of rural digital connectivity on a rapid pace. This could be of immense help in disaster management.

Regional language support is essential for a diverse country like ours. Incorporating regional languages into customer service interfaces, mobile applications and official communications can yield very good results in connecting people of different areas. There should be co-funding options for the States with regard to research and development projects. This will contribute in speeding up of rural digital connectivity.

Capacity building and training of staff in areas like cybersecurity, network maintenance and digital innovation should be taken care of. Filling of vacancies in BSNL is a long-pending issue which has to be taken care of by the hon. Minister.

Chinese loan apps are also a big menace for the rural population of India. They are exploiting personal information and siphoning off funds of the citizens. Urgent regulatory steps should be taken in this regard. Online communication service as an incidental feature like Paytm should also be taken under the purview of this Bill.

Our next suggestion is that some of the issues proposed to be tackled by this Bill are already regulated under the existing laws. Government of India should take care that there is no overlap between the Department of Telecommunications with other regulators such as the Competition Commission of India, TRAI, the Ministry of Electronics and Information Technology and such other Departments.

Sir, I take this opportunity to request the hon. Minister to upgrade Kurnool city to a 'Y' category city from the existing 'X' category. Of course, this is out of context. This is a long-pending demand of the people of my constituency. The city already has a population of more than 5 lakhs and, hence, is eligible to be classified as 'Y' category city for the purpose of enhancement of HRA of Central Government employees from 8 per cent to 16 per cent.

There is a precedence in this similar case where Mathura and Vrindavan were upgraded into 'Y' category city in 2020. Similarly, Kurnool may be considered for upgradation into 'Y' category city. Likewise, Sir, BSNL services should be made mandatory in all Government institutions in a true spirit. Another suggestion is that

coordination among Government agencies before carrying out digging and road expansion work should be established in order to avoid unwarranted outages. My last suggestion would be that local ISPs are not accounting revenue from telecom services. There, GST evasion is being done. Kindly, take care of that.

Sir, there are three requests from the Kurnool Parliamentary Constituency which I represent. One is that under the Universal Service Obligation Fund, 11 sites of Kurnool Districts were allotted 4G equipment. I request the hon. Minister to identify uncovered villages and provide more 4G services. Secondly, BSNL is yet to start 4G services in Kurnool District. I request the hon. Minister to upgrade existing BSNL sites into 4G on priority basis. My third request is that since BSNL is the backbone of entire India, its network needs to be strengthened upto Gram Panchayat level with, at least, 10 GB bandwidth by providing latest equipments.

Sir, in conclusion, from modernising infrastructure to bridging the digital divide, the Bill promises a holistic approach to India's telecom landscape. The focus should be on inclusive approach of all regions of the country so as to realise our dream of 'sabka saath, sabka vikas'. In a digital world, literacy is not just the ability to read and write but also the ability to use communication technologies. Hope, this Telecommunications Bill, 2023 shall take care of our redefined goals.

With these suggestions, Sir, I support the Bill. Jai Hind !

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): माननीय सभापति जी, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक सभागार, इस ऐतिहासिक सदन में, इस ऐतिहासिक सत्र में, इस ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक विधेयक के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, पार्टी ने बोलने का अवसर दिया। अगर हम कह रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक विधेयक है तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, मैं उसे दोहरा रहा हूँ कि आज के दिन हमने 160 वर्ष पुराने विधेयक को निरस्त किया है और हमने नए भारत के लिए नए कानून को पारित करके राज्य सभा की ओर भेजा है। आज यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक काम है।

सभापति जी, जैसे हमने पीनल कोड को बदला, उसी प्रकार से माननीय मंत्री जी 138 वर्ष पुराने इंडियन टेलिग्राफ एक्ट को निरस्त करके, रिपील करके एक नया टेलिकॉम्युनिकेशन बिल ला रहे हैं जो भारत के भविष्य, विकास और उत्थान के लिए बहुत ही सार्थक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल और यशस्वी नेतृत्व के कारण भारत में बदलाव की क्रांति आ रही है, यह हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग भी इसमें हिस्सेदार हो रहे हैं। इस देश के नागरिकों को लाभ मिल रहा है और हम अलग-अलग क्षेत्रों में कायाकल्प कर रहे हैं, ट्रांसफार्मेशन कर रहे हैं। टेलिकॉम में बहुत ही जरूरी, अनिवार्य और प्रभावशाली टेलिकॉम्युनिकेशन बिल की जरूरत थी। मैं माननीय मंत्री जी और उनके विभाग का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयास के कारण आज इतना प्रभावशाली और इतना दूरदर्शी विधेयक प्रस्तुत किया है।

## **17.14 hrs** (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले दस वर्षों में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व और माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण भारत के महत्वपूर्ण सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति आई है। इस क्रांति को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का टेलिकॉम सेक्टर नौ परसेंट का सेक्टर है यानी हमारी जीडीपी में नौ परसेंट टेलिकॉम सेक्टर का योगदान है। इस सेक्टर में आज के समय करीब 40 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम सबने लगभग सैचुरेशन मोड में इसे आगे बढ़ाया है।

आज 118 करोड़ लोग टेलीकॉम सेवा के सब्सक्राइबर बने हुए हैं। यह इतना विशाल सेक्टर है, इतना महत्वपूर्ण सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए है। इस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में क्रांति आई है। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने फास्टेस्ट 5 जी रोलआउट किया, हम लोगों ने ब्रॉडबैंड सभी के घर तक पहुंचा दिया। सभी जगहों पर जो बेस-स्टेशन की जरूरत थी, हम लोगों ने बेस-स्टेशन बना दिया। आपको याद होगा कि 10 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। ड्रॉप कॉल एक समस्या थी। हम सभी लोग उसके शिकार हुए थे। ड्रॉप कॉल तथा बीएसएनएल का मजाक किया जाता था कि वह बीएसएनएल नहीं है, बल्कि ?भाई साहब नहीं लगा? है। उसी बीएसएनएल के बारे में हम लोग कहते थे कि ?भाई साहब नहीं लगा?। आज जो पिछले 10 वर्षों में क्रांति और सुधार आया है, अब जो कॉल्स नहीं लगती थीं, जो ड्रॉप कॉल होती थी, आज वे सभी कॉल्स हो रही हैं और वे लगती ही चली जा रही हैं और लगती ही चली जाएंगी। यह क्रांति हम लोगों ने हमने आज के समय लाई है। इसमें एक बहुत विशेष मापदंड है, बहुत विशेष आंकड़ा है, जिसकी ओर मैं सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। वह यह है कि एवरेज इंटरनेट स्पीड हमारे देश में अब क्या हो गयी है? नौ-दस साल पहले एवरेज इंटरनेट स्पीड 1.3 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड हुआ करती थी। 1.3 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज के समय में, चाहे वह ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर की बात करें या फाइव जी के रोलआउट की बात करें, आज आपको 40,50 और 75 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड इंटरनेट की सेवाएं मिल रही हैं और इसके द्वारा सब एप्लिकेशन्स में क्रांति आ गई है।

महोदय, अभी माननीय सदस्य यूपीआई की बात कर रहे थे। आज एकदम परफेक्ट यूपीआई की रिलायबिलिटी इसलिए है, क्योंकि हम लोग डेटा सर्विसेज इतनी बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। आप आज के समय चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो या आईपीएल हो या कोई भी इवेंट अपने फोन पर देख रहे हैं। यह हम सभी ने देखा है कि आप कहीं भी जाएं, तो अपना फोन निकालकर लोग चाहे पिकचर देख रहे हों, चाहे स्पोर्ट्स का कोई इवेंट देख रहे हों, चाहे अन्य मनोरंजन की चीज देख रहे हों, वह आज उनके स्मार्ट फोन पर उनको मिल रहा है, वह मनोरंजन उनको मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अब 40,50 या 75 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड हो गयी है, जो पहले 1.3 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड हुआ करती थी।

महोदय, यह सिर्फ मनोरंजन और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात नहीं है। आप दूरदराज गांव में भी चले जाइए। हमारे हजारीबाग, झारखंड में बहुत सारे ऐसे दूरदराज के गांव थे, जहां टावर नहीं था, जहां बेस-स्टेशन नहीं था, जहां टेलीकॉम सर्विसेज नहीं थीं। आज उनको टेलीकॉम सर्विसेज मिल रही हैं और वे यूपीआई वीडियो स्ट्रीमिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बहुत जरूरी सेवाएं थीं, यानी शिक्षा या मेडिकल की सेवाएं या उन लोगों की एम्बुलेंस बुलाने के लिए किसी सिग्नल की जरूरत थी, वे सब आज उनको मिल रही हैं। ये सेवाएं टेलीकॉम के क्षेत्र में पिछले 8-10 सालों की क्रांति में हमने दी हैं। मेरे बगल में पूर्व डीजी, पुलिस श्री वीडी राम जी बैठे हैं। वह बता रहे थे कि पहले जो लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म हुआ करता था, वह आज के समय किस प्रकार से कम हुआ है। जहां बेस-स्टेशन नहीं हो पाते थे, पहाड़ वगैरह पर जहां हम बेस-स्टेशन नहीं लगा पाते

थे, हम लोगों ने अब नक्सल प्रभावित एरियाज व डिस्टर्बड एरियाज में बे-स्टेशन लगा दिए हैं। आने-जाने में जिनको दिक्कत होती थी, जो दूरदराज के गांवों में नहीं जा पाते थे, आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बेस-स्टेशन आ गया है। जो पुलिस पिकेट हैं, उनको कनेक्टिविटी मिल गई है और इस तरीके से देश में हम लोग और लोगों को टेलीकॉम के द्वारा भी सुरक्षित रखते चले जा रहे हैं। अतः यह क्रांति आई, इंटरनेट और टेलीकॉम में पिछले 8-9 सालों में बहुत बड़ी क्रांति आई है, लेकिन हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका संकल्प है कि हम एक विकसित भारत बनाएं, एक नए भारत को बनाएं, जिसमें हम सुविधाएं न सिर्फ कैच-अप मोड में करें, बल्कि ऐसी सुविधाएं ऐसी दें कि हम लोग दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाएं, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। अतः न केवल पॉलिसी रिफॉर्म, बल्कि इस विधेयक के द्वारा अब हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एकदम जड़ से सुधार हम ला रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ला रहे हैं और इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से हमारे टेलीकॉम सेक्टर में और गति आने वाली है। यह अद्भुत होने वाला है आगे-आगे देखिए कि हम लोग टेलीकॉम में क्या करेंगे।

अगर यह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने सबके साथ कंसल्टेशन किया है, वर्ष 2022 में पहले इस कानून को ड्राफ्ट मोड में दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो कंसल्टेशन्स हुए, हम लोगों को लगभग 200 अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा एक हजार से ज्यादा टिप्पणियां, कॉमेंट्री और कॉमेंट्स मिले। 60 मंत्रालय, सरकारी संस्थाएं और विभागों से हम लोगों को कॉमेंट्री मिली और कुछ न कुछ सुझाव मिले हैं। इसका जो रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोगों ने न सिर्फ अपने इतिहास, कोर्ट जजमेंट्स और अपने अनुभव को देखा है बल्कि विश्व में आज के समय में जो सबसे आधुनिक रेगुलेशन्स हैं, चाहे वह अमेरिका में हो, यूरोपियन यूनियन का हो, सिंगापुर का हो, जापान का हो या आस्ट्रेलिया का हो, इन सब जगह के रेगुलेशन्स और कानूनों को देखकर इसको बनाया गया है। यह जो कानून बनाया गया है, इसमें पांच ऐसे विशेष स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जिनकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम यह है कि हम लोग, जो उपभोक्ता हैं, हम सब लोग, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन्स लाये गए हैं, जिसमें? डू नॉट डिस्टर्ब? को हम लोगों ने एक लीगल स्ट्रैंग्थ दी है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात संक्षेप में रखिए।

श्री जयंत सिन्हा : सर, सदन खाली है। समय बहुत है। पांच महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं।

माननीय सभापति: खाली की बात नहीं है, घड़ी लगातार चल रही है।

श्री जयंत सिन्हा : सर, डू नॉट डिस्टर्ब यूजर प्रोटेक्शन को लागू किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है कि टेलीकॉम क्या है तो उसको भी एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। अब उसके केवल तीन भाग हैं। पहला सर्विसेज, दूसरा नेटवर्क्स और तीसरा रेडियो इक्विपमेंट, इन तीनों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इनके स्टैंडर्ड्स बन गए हैं और विशेष रूप से इसमें ओटीटी को नहीं लाया गया है। ओटीटी सर्विसेज को हटाया गया है। केवल नेटवर्क्स, रेडियो इक्विपमेंट और सर्विसेज के बारे में डेफिनेशन दी गयी है।

सर, स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म हुआ है, जो वर्ष 1885 का एक्ट था, उसमें स्पेक्ट्रम की कोई जिक्र ही नहीं थी और स्पेक्ट्रम के बारे में सोच ही नहीं थी, उसको बदल दिया गया है। अब ऑक्शन के द्वारा ही स्पेक्ट्रम दिया जाएगा।



असाइनमेंट्स सिर्फ और सिर्फ बड़े नैरोली डिफाइन्ड कुछ-कुछ एरियाज में हैं, जिनमें पब्लिक इंटरैस्ट, गवर्नमेंट फंक्शन्स, टेक्निकल बैकेंड और बैकहॉल हैं, इनको सिर्फ यहीं किया जाएगा ।

सर, जो तीसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, वह टेलीकॉम सिव्योरिटी और नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए है । इसमें पूरे स्टैंडर्ड नेटवर्क को कैसे चलाना है, उसकी घोषणा सरकार द्वारा की जाएगी । जो बहुत सारे कदम लिये जाने चाहिए कि नेटवर्क सिव्योरिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, तो वह भी किया गया है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक ठोस कदम उठाया गया है कि जो सिम कार्ड्स हैं, आज के समय बहुत सारे जाली सिम कार्ड्स का उपयोग किया जा रहा है । अब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के बाद ही सिम कार्ड दिया जाएगा । यानी अब नेटवर्क का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी लोगों को अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा दिया जाएगा ।

सर, इसके बाद एक डिसप्यूट रिजॉल्यूशन है, इसका भी बहुत अच्छा रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है । पहले तो वालंटरी कंप्लायंस है, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल और फिर टीडीसैट लेवल पर डिसप्यूट रिजॉल्यूशन किया गया है ।

सर, अंत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यह है कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार आपातकालीन स्थिति में नेटवर्क का उपयोग भी कर सकती है । इसके बारे में कई लोगों ने आलोचना भी की है । मैं उनको बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में यह एक स्टैंडर्ड है । जब अमेरिका में 9/11 हुआ, जब अमेरिका में हरिकेन कट्रीना आई तो 1962 एक्ट का उपयोग करके जो नेटवर्क्स थे, उनका सदुपयोग किया गया । उस इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार द्वारा उसका उपयोग किया गया । वैसे ही वर्ष 2015 में फ्रांस में भी किया गया था । इसको भी हम लोगों ने इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के द्वारा सरकार को अधिकार दिया है कि वे लोग इस प्रकार से करते हैं और इसको किया जा सकता है ।

मैं अंत में कहूंगा कि हम लोग कुछ वाक्य याद करें-

?मंज़िल से आगे बढ़ कर मंज़िल की तलाश कर,

मिल जाये तुझको दरिया तो समन्दर की तलाश कर ।?

इसलिए, हम लोग 5 जी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो ला ही रहे हैं, लेकिन हम लोग समुद्र की तलाश में हैं । हम लोग एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं । अभी माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं उसको सराहता हूँ और मैं उसकी प्रशंसा करना चाह रहा हूँ ।

5 जी का रोल आउट तो बहुत तेजी से हो ही रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत में हम लोग मंज़िल की तलाश में हैं, समंदर की तलाश में हैं । 6 जी का भी रोल आउट होगा और जब 6 जी बनाएंगे, तो पूरी टेक्नोलॉजी स्टेक यानी हम लोग अपने आप आत्मनिर्भर होकर बनाएंगे, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Hon. Chairperson, Sir, I do not know in which generation of telecommunication we are now, but we have seen telephones which were being operated by the company's operator. We used to give a number and after some time, we used to get connected to that number. Subsequently, it so

happened that we thought that we can move around the room so that we can get connected at ease. That is how a long wire was also connected to the telephone and that is how we could move around, holding the telephone in our hands, while also speaking. Then, technology came that if there is a group of people sitting around you and you want to speak confidentially, then a remote phone or a cordless phone was provided by the market and also by the company and we used to move around with that cordless telephone. Cordless also developed another technology, especially I would say for public persons who are in public life, that if I am talking to someone and pleading for a person who is very close to me and I want that person also to hear what the other side is saying, I put the speaker-phone on so that he hears what the response from the other side is. That helped to a great extent, and even today, it helps to a great extent, the persons who are in public life.

Subsequently, it underwent a change during the later part of Nineties, especially in our country, when mobile technology came into being. I remember that in 1998 when Mr. Pramod Mahajan was the Minister of Communications and IT, he had visited China with a group of technocrats. When he came back, he was speaking very profusely about the youngsters and everybody there having a mobile in their hands and telling when we were going to have it. In a way, he was exhorting himself and it came.

Actually, I have the fortune, along with some Members who are in this House even today, to have seen the new Telecom Policy taking shape. One would think it otherwise, but the Chairman of that Committee was Mr. Somnath Chatterjee and his party was totally against opening up of telecom sector to market. I have seen for three years the manner in which he guided us in the Committee on how to open up the sector. It was during 2001. Though the policy was of 1996, it subsequently underwent a number of changes and the Telecom Policy changed. There was a large section of the society which was opposed to provide or allow private players to come in saying that the national secrets would be divulged if we allowed private players to come in.

When I am going through the Bill today, the words 'national security' also come again and again. It is not only controlling a public sector undertaking; provisions have been made to control and regulate private sector also. Is it necessary or not necessary how far our privacy boundary extends? That is a matter which can be debated, discussed inside this House, outside this House, or in a court of law. But

the point here is when I am communicating certain things to someone, how much can the State interfere? That is the basic question which needs to be answered in a civilised society.

Coming back to the Bill, I would say, it is an interesting piece of legislation and it is in safe hands. The Minister is capable enough to navigate no matter in the manner in which this House is existing today and also for that matter the other House. This Bill will replace the Indian Telegraph Act of 1885, the Indian Wireless Telegraphy Act of 1933, and the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act of 1950. These are seen as colonial and post-colonial relics that are unsuitable for a sector that has seen dramatic changes in recent times. It has changed exponentially especially during the last 25-30 years. At a time when we are reading in our puranas that how come in the nail one could see something which is far, far away or in the palm if a picture can be seen, it is a reality today.

The Telecommunications Bill, 2023 has proposed major changes in regulatory mechanism. There are a number of other changes also that are being affected including simplification of licencing, clarity on spectrum assignment, and stringent requirement for user verification. Current licencing regime for telecom network is being moved towards an authorisation system as the Telecom Department issues more than 100 types of licences, registrations, and permissions. Currently, the Bill seeks to club many of these in a single authorisation process.

This Bill opens the door for administrative allocation of spectrum for satellite broadband services which is the global norm today. This could be a big win for Bharti Airtel's OneWeb, Elon Musk's Star Link, and Amazon's Kuiper. The assignment of spectrum whether through auction or administrative means for satellite communication was at the heart of the debate between the Government and a divided industry. The Telecom Department even went to ask the telecom regulator, TRAI, for modalities relating to auctioning satellite spectrum. While Reliance Jio had called for auctioning of spectrum rather than administrative allocation, OneWeb had recommended the administrative route against a fee in order to promote investment and make sure competitive prices are available to the market at the end. Star Link recommended to impose nominal spectrum charges to ensure affordable access of services. All this comes in the backdrop of, as you very well remember, Supreme Court's ruling of 2012 in 2G Spectrum. The allocation of spectrum by the UPA Government was declared illegal. More than 100 telecom

licences were cancelled. The PAC also went into that. C&AG gave a report. A number of things also happened.

Now, I am coming to the Bill. A pertinent question is this. Are there any concerns about the provisions of this Bill? ? (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Please be brief.

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:** Yes, just 3-4 minutes more.

Previously, the Government took steps such as suspending internet services in areas marred by violence till peaceful conditions prevailed. This has also been a topic of debate. But now, the Bill proposes to empower a Government to take ? temporary possession of the network?. The Minister may clarify this. What is possession and how would the temporary period be defined?

Is it true that through this Bill TRAI will become a rubber stamp as this Bill considerably dilutes the regulatory power? Appointment of private sector corporate executives for the role of TRAI Chairperson is going to become a reality with the manner in which the provisions are being made in this Bill. The Bill says an Executive may be appointed if such person has at least 30 years of professional experience and has served as a Member of the Board of Directors or a Chief Executive of a company.

Lastly, this Bill allows the Government to take over telecom services and intercept messages in the interest of national security and in case of emergencies. I understand that at the time of trouble or emergency it becomes necessary to confine a certain message or certain issues to that area alone so that you can control unnecessary or disruptive activities. But at what level it can be monitored and a decision has to be taken is not defined here. Perhaps, the Minister can tell us in detail as to how it will be decided, at what level it will be decided and under what law it will be decided.

A 2022 draft had expressly mentioned online communication services such as WhatsApp, Instagram and Telegram as telecommunication services. Experts believe that the definition of such services in the current Bill has been whittled down and kept open to potentially regulate online platforms as well.

Therefore, I would say that a number of issues are also there. I have flagged only some of them. I believe that the other Members also will be deliberating on those other issues, and we expect that a Regulator has to be independent. The

Government also should have, for law-and-order situation, a little bit of control, and it should not be a blanket control.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणो (मावल): माननीय सभापति महोदय, माननीय दूरसंचार मंत्री द्वारा प्रस्तुत दूरसंचार विधेयक, 2023 पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ ।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक एक प्राधिकरण प्रणाली की ओर आगे बढ़ते हुए दूरसंचार नेटवर्क के लिए वर्तमान लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास करता है । वर्तमान में दूरसंचार विभाग सौ से अधिक प्रकार के लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमतियां जारी करता है और यह विधेयक उनमें से कई को एक ही प्राधिकरण प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, विधेयक सरकार को अपर्याप्त कारणों से अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को वापस लेने की भी अनुमति देता है और स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने और पट्टे पर देने का द्वार भी खोलता है ।

संस्थाएं अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार से भुगतान नहीं मिलेगा । विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933), और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम (1950) को प्रतिस्थापित करना चाहता है, जिसे सरकार औपनिवेशिक युग के पुराने कानूनों के रूप में देखती है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है । पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में काफी बदलाव आया है ।

सभापति महोदय, यह विधेयक सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अधिसूचित देशों या किसी व्यक्ति के दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है । दूरसंचार उपकरण केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदे जाने चाहिए । दूरसंचार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक में प्रस्ताव है कि प्रचार, विज्ञापन आदि जैसे कुछ संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति ली जानी चाहिए ।

सभापति महोदय, इस विधेयक में एक निर्णय तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । लाइसेंस के नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, निर्णायक अधिकारी को जांच करनी चाहिए और आदेश पारित करना चाहिए । विधेयक में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को लुटेरी मूल्य निर्धारण की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान करने की भी संभावना है ।

सभापति महोदय, कुछ चिंताएँ भी हैं, मुख्य रूप से दूरसंचार नेटवर्क पर संचार के लिए अवरोधन आवश्यकताओं को लेकर क्या विधेयक निर्णायक रूप से व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे इंटरनेट आधारित संचार प्लेटफार्मों को इसके दायरे से बाहर करता है या नहीं, इस पर मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टता चाहता हूँ ।

सभापति महोदय, विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों या एक विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी को सार्वजनिक आपातकाल या हित या सुरक्षा के मामले में अवरोधन, प्रकटीकरण और निलंबन की शक्तियां प्राप्त करने का अधिकार देता है । भारत में प्रकाशन के लिए और राज्य या केंद्र सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को अवरोधन से छूट दी गई है, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से उन्हें रोका जा सकता है ।

सभापति महोदय, विधेयक केंद्र को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या युद्ध की स्थिति में दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकार भी देता है। इस विधेयक के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क को सरकार से प्राधिकरण की आवश्यकता होगी, जब तक कि वह सार्वजनिक हित में कुछ संस्थाओं को छूट देने का निर्णय नहीं लेती।

सभापति महोदय, इस विधेयक के अनुसार उद्योग और नागरिक समाज का एक वर्ग इस डर से चिंतित है कि वर्तमान परिभाषा की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि दूरसंचार विभाग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विनियमित करने का द्वार संभावित रूप से खुल जाएगा। व्यवसाय नियमों का आवंटन इसके रास्ते में आ सकता है। दूरसंचार विभाग का अधिकार उन नियमों के तहत ?वाहक परत? यानी दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने तक सीमित है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसी कंपनियां हैं। ये कंपनियां आज बुरी हालत में हैं। जहां पहाड़ी गांव या ग्रामीण इलाका है, वहां बीएसएनएल, एमटीएनएल चलता है। वहां पर जियो नेटवर्क नहीं चलता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि शहरी इलाकों में यह प्राइवेट सेवा चलती है, लेकिन भारत सरकार की सेवा ग्रामीण इलाकों में चलती है। इस पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री अश्वनी वैष्णव : सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण बिल पर अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। मैं दस पॉइंट्स में इसका जवाब दूंगा।

सभापति महोदय, इस बिल में सबसे बड़ा रिफॉर्म यूजर्स प्रोटेक्शन में आया है। आज हम सभी जानते हैं कि किस तरह से किसी के नाम पर भी, कोई बैंक के नाम पर कॉल करता है, किसी के एकाउंट्स से पांच हजार रुपए या दस हजार रुपए निकाल देते हैं, उस पर बहुत फोकस करके फ्रॉडलेंटली कोई सिम न ले सके और सिम बॉक्स जैसी व्यवस्था उपयोग में न ला सके, बिना केवाईसी के सिम न मिल सके, इस तरह की इसमें व्यवस्था की गई है।

#### **17.46 hrs** (Hon. Speaker in the Chair)

इसमें बहुत कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। फ्रॉडलेंटली सिम लेने के मामले में impersonation के मामले में तीन साल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया गया है।

मान्यवर अध्यक्ष जी, इस तरह भारत सरकार, मोदी जी ने टेलिकॉम में सुचिता लाने का प्रयास किया है, उससे इस बिल में इस तरह के प्रावधान से बहुत बड़ा साधन मिलेगा।

अध्यक्ष जी, दूसरा पॉइंट right of way reforms है। जिस तेजी से टेलिकॉम इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है, उसमें right of way reform बहुत जरूरी था। इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार को सम्मिलित करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से right of way reform लाया गया है।

तीसरा लाइसेंस का रिफॉर्म है। सौ से अधिक विभिन्न प्रकार के लाइसेंस होते हैं। उनकी जगह एक सिम्पल ऑथराइजेशन होगा।

चौथा, स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म है। 1885 के एक्ट में, तब spectrum की कोई बात भी नहीं होती थी। इसमें स्पेक्ट्रम के लिए एक बहुत अच्छी, बहुत सोची-समझी और कानून सम्मत माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और

कांस्टीट्यूशनल बेंच का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसका सम्मान करते हुए, उसी के अनुसार एक व्यवस्था इस बिल में लाई गई है ।

अध्यक्ष जी, पांचवा बड़ा पॉइंट है ? ?Digital by design?. Digital by design, four-tiered dispute resolution framework बनाया गया है । आर्थिक कानूनों में किस तरह से एक व्यवस्था हो, जिसमें आसानी से लोगों को न्याय मिल सके, बहुत आराम से अपनी कम्प्लेंट्स, ग्रीवांसेज को रिड्रेस करा सकें, वह व्यवस्था इस बिल में लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है ।

अध्यक्ष जी, छठा पॉइंट है कि cyber security के standard, और protection of telecom network के लिए एक लीगल फ्रेम वर्क बनाया गया है । आज युद्ध के समय या नेशनल सिक्योरिटी के केस में सबसे बड़ा अटैक सबसे पहले नेशनल टेलीकॉम नेटवर्क्स पर होता है । अभी विश्व में जितने भी conflict zones हैं, उन सब के अध्ययन से यह पाया गया है कि सबसे पहला अटैक टेलीकॉम नेटवर्क्स पर होता है । इसलिए टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, इसीलिए trusted source और साइबर सिक्योरिटी को एक लीगलजामा पहनाया गया है ।

सातवां पॉइंट इंटरसेप्शन का है । इंटरसेप्शन के 1996 के पीयूसीएल के जजमेंट के बाद से एक क्लीयर व्यवस्था बनी हुई है, उसके अनुसार आज जहां पर जरूरत पड़ती है, वह भी संविधान सम्मत आर्टिकल के अनुसार जो इंटरसेप्शन किया जाता है, वही प्रावधान इस बिल में भी रखे गए हैं और उसी तरह के चेक एंड बैलेंसेज की व्यवस्था की गई है ।

अध्यक्ष जी, आठवां पॉइंट डिजिटल भारत निधि का है । जिस तरह से आज भारत telecom equipment का designer, manufacturer and exporter बना है, उस के बारे में आज से 10 साल पहले सोचा नहीं जा सकता था कि भारत में telecom equipment manufacture होगा, लेकिन आज यह एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह उभरा है । डिजिटल भारत निधि के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की एक व्यवस्था की जाएगी ।

मान्यवर अध्यक्ष जी, नौवां पॉइंट है कि innovation and technology development के लिए regulatory sand box की व्यवस्था । यानी एक सीमित दायरे में अगर स्पेक्ट्रम या टेलीकॉम की व्यवस्था को यूज करके कोई इनोवेशन करना चाहे, तो वह काम इस बिल के पास होने के बाद संभव हो सकेगा ।

दसवां, सबसे महत्वपूर्ण विषय है । यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है । जैसा कि एक मान्यवर सांसद जी ने कहा था । आज करीब 40 लाख लोग इसमें रोजगार पाते हैं । इस इंडस्ट्री में कहीं कोई डिसरप्शन नहीं हो, यह बिल के बनाने के समय में ध्यान रखा गया है ।

मान्यवर, महताब जी ने एक पॉइंट रेज किया था कि नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, इंटरसेप्शन में क्या व्यवस्था रहेगी? मैं एकदम क्लीयर आश्वासन देना चाहता हूं कि एकदम क्लीयर चेक्स एंड बैलेंसेज, सुप्रीम कोर्ट और संविधान सम्मत व्यवस्था, जो आज तक चली आई है, उसी तरह की व्यवस्था इस बिल के बाद भी रहेगी ।

एक और विषय स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के विषय में आया था ।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टीट्यूशन बेंच में क्लियरली कहा था, बिल्कुल उसी कॉन्स्टीट्यूशनल बेंच के ऑर्डर के तहत इस बिल में स्पेक्ट्रम की व्यवस्था की गई है । मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल से देश के जन-जन

में आज तक जो व्यवस्था आई है, डिजिटल इंडिया का जो लाभ हुआ है, इन सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से और इस कॉम्प्रिहेंसिव बिल से एक बहुत अच्छा प्रभाव इसमें पड़ेगा। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है कि किस तरह से पेमेंट की व्यवस्था हुई है, किस तरह से डिजिटल क्रेडिट आज मिल रहा है, किस तरह से ऑनलाइन ऑर्थेंटिकेशन सम्भव हुआ है। टेलीकॉम इन सब का गेटवे है। इस गेटवे को और सुदृढ़ बनाएं तथा इस महान सदन के माध्यम से एक नई व्यवस्था कायम हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा।? (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : सर, इसके बारे में आपका बारण जी ने भी प्रश्न किया है। जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसएफओ) बीएसएनएल या दूसरी संस्थाओं को देने के लिए बनता था, प्राइवेट प्लेयर्स अर्बन एरियाज में सारे बटोर लेते थे और रूरल एरिया में कोई जाता नहीं है। इस हिसाब से वे कुछ पैसा हर साल देते हैं। अभी यह फंड मर्ज हो जाएगा। आप रूरल टेलीफोनी बढ़ाने के लिए, स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर बढ़ाने के लिए, टावर बनाने के लिए इस फंड का प्रयोग कैसे करेंगे? आपके हाथ से तो यह चला गया। इस हिसाब से कोई निर्दिष्ट परसेंटेज ऑफ मनी वहां से आएगी, आपको मिलेगी? जैसे ओडिशा राज्य है, झारखंड राज्य है, वहां तो ये सारी चीजें होती नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ओडिशा के बारे में सब जानते हैं।

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, जो डिजिटल भारत निधि बनाई है, वह यूएसएफओ का रिप्लेसमेंट है। उसमें इस निधि के व्यवहार की सबसे पहली आवश्यकता जो रखी गई है, इसमें सबसे पहला पाइंट रखा गया है? यूनिवर्सल एक्सेस देना। साथ में दो चीजें और जोड़ी गई हैं? इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की। जो प्राथमिकता मोदी जी ने दूरदराज क्षेत्रों को टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचाने की दी है, अभी हाल ही में करीब-करीब 40 हजार करोड़ रुपये सैक्शन किए गए हैं, जिससे देश के हर गांव में 4 जी और 5 जी की सर्विसेज पहुंच सके। करीब-करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिक फाइबर पहुंचाया गया है। बीएसएनएल के लिए 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज दिया गया है और बहुत खुशी के साथ आपके समक्ष यह बात रखना चाहूंगा कि आज बीएसएनएल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने लगा है। आज बीएसएनएल ने देश में डेवलप 4 जी, 5 जी की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रोल आउट आरंभ कर दिया है और बहुत जल्दी वह रोल आउट और ज्यादा स्पीड-अप होगा। करीब-करीब अगले एक साल के बाद बीएसएनएल भी बहुत ही मजबूत और बहुत ही सक्षम एंटीटी बनकर निकलेगा। जैसे कुछ मान्यवर सांसद कह रहे थे कि बीएसएनएल का कभी-कभी मजाक बनाया जाता था, लेकिन अब लोग बोलेंगे कि भाई साहब नया लगेगा। एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनकर निकलेगा। मोदी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल के पीछे चट्टान बनकर खड़ी है।

अध्यक्ष जी, साथ ही साथ कई और पॉइंट्स आए, जिनके बारे में भी मैं आपके समक्ष कुछ क्लेरिफिकेशंस रखना चाहूंगा। स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का विषय आया। सैटेलाइट एक ऐसी सर्विस है, जिस सर्विस में बेसिकली जो भी स्पेक्ट्रम यूज होता है, वह सेम स्पेक्ट्रम, एक ही स्पेक्ट्रम को मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं यानी सैटेलाइट से बेस स्टेशन पर जो बीम आ रही है, वही बीम, सेम फ्रीक्वेंसी को बाकी कई लोग यूज कर सकते हैं। इस टेक्नीकल पॉइंट के कारण दुनिया के करीब सभी देशों ने सैटेलाइट का, स्पेक्ट्रम का एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली ही किया है। उसको कहीं पर भी ऑक्शन में नहीं लाए हैं। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टीट्यूशन बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, उस फाइंडिंग में भी इस तरह की व्यवस्था थी कि जहां पर किसी टेक्नीकल कारण से अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देना पड़े तो देना चाहिए।



इस बिल में जो टेक्निकल कारण और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिजंस दिखाए गए हैं, वे बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, एकदम नैरोली डिफाइंड हैं। शेड्यूल एक में 19 पॉइंट्स डाले गये, जिससे कि कहीं पर किसी के प्रति कोई डिस्क्रिशन न रहे।

मोदी जी बहुत शुचिता के साथ सरकार चला रहे हैं। मोदी जी का राजनीति और सार्वजनिक जीवन में शुचिता का हमेशा प्रयास रहता है। इसलिए इस बिल में बहुत ही क्लीयरली डिफाइंड है कि किस तरह के कारणों से एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिफेंस फोर्स आदि को आज भी दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा।

जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, मान लीजिए पावर ग्रिड है, मेट्रो है, रेलवेज है, इन सबको आज भी पब्लिक इंस्ट्रुमेंट में दिया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिवली आगे भी दिया जाएगा। जहाँ पर टेक्निकल कारण से, जैसा कि मैंने सैटेलाइट के संबंध में बताया या फिर बैंकहॉल, ये ऐसे कारण हैं, जहाँ पर टेक्निकल कारण से स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करना पॉसिबल नहीं है, उन सबमें एडमिनिस्ट्रेटिवली दिया जाएगा। यह व्यवस्था इस बिल के माध्यम से लायी जा रही है। इससे बहुत सारे लिटिगेशंस भी खत्म होंगे।

इसके साथ-साथ, स्पेक्ट्रम के कुछ बड़े रिफॉर्म भी लाये जा रहे हैं। विश्वभर में एक स्थापित व्यवस्था है कि स्पेक्ट्रम को हार्मोनाइज करने दिया जाए और स्पेक्ट्रम की re-farming को अलाऊ करें। Re-farming का मतलब यह है कि अगर स्पेक्ट्रम 4 जी के लिए लिया गया था, टेक्नोलॉजी बढ़ते-बढ़ते 5 जी की तरफ बढ़ी, तो सेम स्पेक्ट्रम को, 4 जी के स्पेक्ट्रम को 5 जी में भी उपयोग में लिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था विश्वभर में है। वही व्यवस्था अपने यहाँ इस बिल के पारित होने के बाद लागू होगी। इस तरह से, पूरे सेक्टर में एक फ्लैक्सिबिलिटी आएगी, ग्रोथ का एक नया मोमेंटम आएगा। इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहूंगा कि स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है, जो बहुत ही स्केयर्स रिसोर्स है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब से इस ब्रह्माण्ड की सृष्टि हुई है, तब से स्पेक्ट्रम जैसा था, वैसा का वैसा आज भी है। अगर कोई इसका कम्पैरिजन किसी और रिसोर्स के साथ करे, मान लीजिए एक माइन के साथ करे, तो माइन का जितना उपयोग होता है, उसके बाद धीरे-धीरे माइन खत्म हो जाती है। अगर हम एक मशीन का उदाहरण दें, तो मशीन का जितना उपयोग करते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है, जो सदियों से कितनी भी बार, कितने भी व्यक्ति, कितनी भी संस्थाएं उसका उपयोग करें, स्पेक्ट्रम में एक रस्ती भर भी कोई कमी नहीं आती है, उसमें कोई खरोंच नहीं आती है। जैसा कि श्रीमद्भगवत् गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा अजर है, अमर है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वैसा ही स्पेक्ट्रम का भी स्वरूप है। यह एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिसोर्स है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, जिसको कोई टच नहीं कर सकता है यानी जो स्पेक्ट्रम कल तक कोई व्यवहार में लाता था, उसको आज भी बिल्कुल बिना कोई हिचक के, बिना कोई कमी के, बिना किसी क्षरण के उसको नया व्यक्ति उपयोग में ले सकता है। ऐसी नैचुरल रिसोर्स को बहुत ही सावधानी के साथ डील करना चाहिए। इसलिए ये सभी रिफॉर्म्स लाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो, तो सभा का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि दूरसंचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और प्रचालन; स्पेक्ट्रम के समनुदेशन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 59 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 59 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

### **Clause 60 Repeal of certain Acts and savings**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 19 और 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 निरसित की जाती हैं" ।

(1)

(श्री अश्विनी वैष्णव)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि खंड 60, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 60, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

### **Clause 61 Existing rules to continue**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 31 और 32,-

"या तारयंत्र संबंधी तार (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950" का लोप करें । (2)

(श्री अश्विनी वैष्णव)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि खंड 61, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 61, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**18.00 hrs**

### **Clause 62 Validation of certain**

#### **Acts and indemnity**

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 29, पंक्ति 7 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा -

?किए गए कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्रवाइयां और की गई कार्यवाहियां, भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन किए गए थे, लिए गए थे या? (3)

(श्री अश्विनी वैष्णव)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि खंड 62, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 62, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

दूसरी और तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

\* Not recorded as ordered by the Chair.